

एचएसवीपी की 53 सेवाएं अनिवार्य सेवाओं में होंगी शामिल

चंडीगढ़, 6 जुलाई (ट्रिब्यून)

हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग (राइट-टू-सर्विस कमीशन) ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की 53 सेवाओं को अनिवार्य सेवाओं के दायरे में लाने को कहा है। इसके लिए आयोग ने राज्य सरकार को सिफारिश की है।